

प्रकरण संख्या :-91/2021 (2021/255)
प्रपत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

रणजीत आत्मज हरदेव माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रार्थी

बनाम

1. लेहरू आत्मज हजारी गुर्जर
2. मोहनी पत्नि नानु गुर्जर
सर्व निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. बाबुलाल आत्मज हरदेव माली
4. नवरतन आत्मज हरदेव माली
5. बनवीर आत्मज हरदेव माली
6. सुशीला पुत्री हरदेव माली
7. मंजु पुत्री हरदेव माली
8. माया पुत्री हरदेव माली
9. राजी पुत्री हरदेव माली
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--विपक्षीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री गणपत राणवा
:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-06.09.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या तीन लगायत नो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 138 रकबा 0.05 हे0, 139 रकबा 0.06 हे0, 140 रकबा 0.07 हे0, 141 रकबा 0.28 हे0, 142 रकबा 0.08 हे0, 143 रकबा 0.14 हे0, 150 रकबा 0.29 हे0, 151 रकबा 0.29 हे0, 152 रकबा 0.28 हे0, 153 रकबा 0.35 हे0, 371 रकबा 0.70 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 2.59 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 191 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान पत्थरगढी करने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजेश सुवालका
उप सहायक अधिकारी
कैडर (भीलवाड़ा)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 138 रकबा 0.05 हे0, 139 रकबा 0.06 हे0, 140 रकबा 0.07 हे0, 141 रकबा 0.28 हे0, 142 रकबा 0.08 हे0, 143 रकबा 0.14 हे0, 150 रकबा 0.29 हे0, 151 रकबा 0.29 हे0, 152 रकबा 0.28 हे0, 153 रकबा 0.35 हे0, 371 रकबा 0.70 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 2. 28 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 191 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, जहाँ भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए बाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 850/- (आठ सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 850/- (आठ सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुप्रालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (सहाड़ा) 2.